त्रिपुरा से मिजोरम तक, ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास और प्रत्यावर्तन

1. अक्तूबर, 1997 में, मिजोर मे पश्चिमी भगा में मानव जातीय हिंसा के कारण अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) के अधिकांश परिवार 1997-98 में उत्तरी त्रिपुरा में जाकर बस गए। उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छः राहत शिविरों में लगभग 30000 (5000 परिवारों) ब्रू प्रवासियों को शरण प्रदान की गई।

2. दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, ब्रू परिवारों के पुनर्वास/संप्रत्यावर्तन के लिए त्रिपुरा सरकार को 368.94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ब्रू परिवारों का संप्रत्यावर्तन वर्ष 2010 में शुरू हुआ और वर्ष 2014 तक, छः बैचों में लगभग 1622 ब्रू परिवारों (8,573 व्यक्ति) संप्रत्यावर्तित होकर मिजोरमे में बस चुके हैं।
3. इसका संभावित समाधान निकालने के लिए दिनांक 03.07.2018 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ताकि त्रिपुरा में अस्थायी शिविरों में रहने वाले 32876 व्यक्तियों के 5,407 ब्रू परिवारों का संप्रत्यावर्तन किया जा सके। करार के अनुसार, भारत सरकार ब्रू परिवारों के संप्रत्यावर्तन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी और सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि के उनके मामलों का ध्यान रखेगी।

प्रत्येक संप्रत्यावर्तित परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता :

(i) प्रत्येक ब्रू परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपए का नकद प्रोत्साहन।
(ii) प्रत्येक परिवार को, दो वर्षों के लिए 5000/- रुपए प्रति माह नकद सहायता ।
(iii) प्रत्येक परिवार को आवास सहायता के लिए 1.50 लाख रुपए।
(iv) प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष के लिए मुफ्त राशन।
(v) प्रत्येक परिवार को दो वर्ष के लिए बर्तन और कंबल।
(vi) ब्रू परिवारों के परिवहन, प्रशासनिक और सुरक्षा लागत की प्रतिपूर्ति।

4. दिनांक 03.07.2018 के करार की शर्तों के अनुसार, इस करार के कार्यान्वयन के समन्वय करने के लिए विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय के अधीन एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस करार के फलस्वरूप, आज तक, त्रिपुरा से मिजोरम में 35 परिवारों को संप्रत्यावर्तित किया जा चुका है। हालांकि, नवम्बर, 2018 के विधानसभा चुनावों और लोक सभा चुनावों के कारण प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मई में चुनाव सम्पन्न हो जाने से, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में पूरी करने के

प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल, संप्रत्यावर्तन की तारीख 30.09.2019 तक बढ़ा दी गई है।

5. **विगत सात वर्षों के दौरान, ब्रू प्रवासियों के लिए, पुनर्वास के लिए मिजोरम और त्रिपुरा में योजनाओं (सहायता अनुदान) हेतु जारी किए गए व्यय/निधि का वर्ष-वार विवरण -**

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**त्रिपुरा राज्य के लिए जारी**	**मिजोरम राज्य के लिए जारी**
2012-13	18.63	11.39
2013-14	6.60	5.07
2014-15	35.00	5.00
2015-16	30.00	5.00
2016-17	22.26	7.50
2017-18	25.14	16.50
2018-19	45.17	50.00
2019-20 में आबंटन	**28.38**	**171.62**